



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-2628/औ०सं०/2019-26(2)ए०एस०/06

दिनांक : 01 अगस्त, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि०,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

सर्वोच्च प्राथमिकता
अति महत्वपूर्ण

विषय:- आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाईनों के अनुरक्षण आदि के कार्य में नियोजित संविदा श्रमिकों को ससमय मजदूरी भुगतान, ई०पी०एफ०/ई०एस०आई०/दुर्घटना बीमा अंशदान जमा कराने एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं०-1100-औ०सं०/2018-26(2)ए०एस०/06 दिनांक 07.05.2018, आदेश सं०-802-औ०सं०/2018-26(2)ए०एस०/06 दिनांक 21.04.2018 एवं आदेश सं०-3032-औ०सं०/2016-26(2)ए०एस०/06 दिनांक 25.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान आर०टी०जी०एस० के माध्यम से संविदा श्रमिक के बैंक खाते में जमा कराये जाने, श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कराये जाने, संविदा में प्रशिक्षित श्रमिकों को नियोजित करने, सुरक्षा व श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये थे।

कारपोरेशन प्रबन्धन के समक्ष विभिन्न माध्यमों, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से यह संज्ञान में आ रहा है कि संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक नहीं किया जा रहा है, जिसे कारपोरेशन के उच्च प्रबन्धन द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इसी क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :-

1. आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से विद्युत अनुरक्षण कार्य में लगाये गये आउटसोर्स श्रमिकों को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ०प्र० द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप अनुरक्षण कार्य के लिये आवश्यक टी० एण्ड पी०, सुरक्षा उपकरण यथा दस्ताने, प्लायर, सुरक्षा बैल्ट अर्थ चैन आदि की व्यवस्था संविदाकार द्वारा प्रत्येक गैंग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
2. आउटसोर्स एजेन्सी के श्रमिकों की विद्युतीय दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु भारतीय विद्युत नियमावली-1956 के प्राविधानों के अनुसार वर्क परमिट निर्गत कर अधिकृत कार्मिक के माध्यम से कार्य सम्पादन किया जाना एवं शटडाउन के रूल्स के अनुसार विद्युत लाइन बन्द व चालू कराये जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित क्षेत्र की विद्युत लाईनों की विधिवत् जानकारी रखने वाले आउटसोर्स श्रमिकों से ही अनुरक्षण का कार्य कराया जाये।
3. संविदा श्रमिकों की मजदूरी हेतु मांगी गई धनराशि डिस्काम के लेखा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से माह की 07 तारीख से पूर्व अवमुक्त करा दी जाये जिससे सम्बन्धित खण्ड द्वारा नियमित रूप से आउटसोर्स एजेन्सी को भुगतान हो सके। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान आर०टी०जी०एस० के माध्यम से माह की 07 तारीख से पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपने कर्मियों का ई0पी0एफ0 अंशदान नियोक्ता के अंशदान सहित सम्बन्धित ई0पी0एफ0 कार्यालय में समय से जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। इसकी पुष्टि क्षेत्रीय भविष्यनिधि कार्यालय/वेबसाइट से सुनिश्चित कराएंगे। सेवायोजक एवं श्रमिक का ई0पी0एफ0 अंशदान भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय में जमा किये गये जाने की पुष्टि व प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही अगले माह का भुगतान संविदाकार को किया जाये।
5. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपने कर्मियों का ई0एस0आई0 अंशदान नियोक्ता के अंशदान सहित सम्बन्धित ई0एस0आई0 कार्यालय में समय से जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। इसकी पुष्टि ई0एस0आई0 कार्यालय/वेबसाइट से सुनिश्चित कराएंगे। सेवायोजक एवं श्रमिक का ई0एस0आई0 अंशदान ई0एस0आई0 कार्यालय में जमा किये गये जाने की पुष्टि व प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही अगले माह का भुगतान संविदाकार को किया जाये। जिन जिलों में ई0एस0आई0 की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा ई0एस0आई0 की अनुरूपता में दुर्घटना बीमा पॉलसी लिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं बीमा राशि का प्रीमियम ससमय जमा किया जाये।

मजदूरी भुगतान, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, दुर्घटना बीमा अंशदान आदि सूचना संविदा पोर्टल पर अपलोड की जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(ए0के0 पुरवार)

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-2628-औ0सं0/2019, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन-निगम, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वितरण)/ (वित्त)/ (वाणिज्य)/ (कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निर्देशों का पालन करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 पुरवार) 11/8/19

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)